



54

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प उज्जैन जिला उज्जैन
प्र0क0 / 2018-19 पुनरिक्षण

- निगरानी - 5450/2018/ शाजापुर/भू.य.
1. गजाधर पिता रामलाल फौती वैध वारिसान
 - क. जगदीश पिता गजाधर आयु 46 वर्ष
 - ख. नयनपाल पिता गजाधर आयु 36 वर्ष
 - ग. छतरसिंह पिता गजाधर आयु 32 वर्ष
 - घ. सुनीता पिता गजाधर आयु 30 वर्ष
 2. जोरावरसिंह पिता रघुनाथसिंह आयु 72 वर्ष
 3. दिनेश कुमार पिता रामप्रसाद आयु 40 वर्ष
- समस्त जाति खाती निवासी पोलायकलॉ
जिला शाजापुर म0प्र0

— आवेदक / निगरानीकर्तागण
बनाम

1. मनोहर पिता घासीराम आयु 50 वर्ष जाति
खाती वार्ड क.14 यमुनानगर पोलायकलॉ
जिला शाजापुर म0प्र0
2. चन्दाबाई बेवा घासीराम आयु 49 वर्ष जाति
खाती वार्ड क.14 यमुनानगर पोलायकलॉ
जिला शाजापुर म0प्र0

— अनावेदक / विपक्षीगण

पुनरिक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म0प्र0मू0रा0सं0

न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय पोलायकलॉ के प्र0क0
09-अ-13/2015-16 मे पारित आदेश दिनांक 26.07.2018 से
दुखित होकर

3

निर.....2


सुप्रीम कोर्ट
23/8/18
26/9/18

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

54

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-5450/2018/शाजापुर/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/11/19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सुखदेव रुदाहड़े उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 को कलेक्टर, जिला शाजापुर के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">  प्रशासकीय सदस्य </p>	